

पत्र संख्या-11/आ०-न्याय-30/2021 सा०प्र०.10668.

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।

पटना-15, दिनांक 29-6-22....

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-29.08.2018 के आलोक में बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक-3433 दिनांक-09.10.2007 एवं परिपत्र संख्या-9529 दिनांक-01.07.2015 द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निम्नांकित सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं :-

क्रम सं०	परिपत्र संख्या-3433 दिनांक-09.10.2007 का प्रावधान	परिपत्र संख्या-9529 दिनांक-01.07.2015 का प्रावधान
1.	नेत्रहीन विद्यार्थी या दृष्टिबाधित अभ्यर्थी के लिए परीक्षा में श्रुतिलेखक की व्यवस्था की जाएगी।	स्थायी रूप से हाथ नहीं होने के कारण लिखने से मजबूर या सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हों, के लिए श्रुतिलेखक की व्यवस्था की जाएगी।
2.	श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान 100 रुपये की दर से परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।	श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान 100 रुपये की दर से परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।

3.	श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता के एक स्तर नीचे की होगी।	श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता के एक स्तर नीचे की होगी।
4.	दृष्टिहीन अथवा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटा 15 मिनट की दर से न्यूनतम 15 मिनट एवं अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।	स्थायी रूप से हाथ नहीं होने के कारण लिखने से मजबूर या सेरेबल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हों, के अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटा 15 मिनट की दर से न्यूनतम 15 मिनट एवं अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक-29.08.2018 के आलोक में उपर्युक्त सुविधा को विस्तारित करते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को निम्नांकित सुविधा देने का निर्णय लिया गया है :-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी।

(ii) दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के केन्द्राधीक्षक द्वारा तैयार किये गए श्रुतिलेखकों के पैनल में से स्वविवेक के आधार पर श्रुतिलेखक चुन सकते हैं या परीक्षा से संबंधित संस्थान से ऐसा अनुरोध कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्री संस्थान जिला एवं प्रमंडल स्तर पर श्रुतिलेखकों का एक पैनल तैयार करेंगे तथा सुविधानुसार परीक्षा से दो दिन पहले परीक्षार्थी को श्रुतिलेखक से मिलने की अनुमति दे सकेंगे, ताकि दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध कराये गये श्रुतिलेखक की दक्षता का परीक्षण कर सकें।

(iii) श्रुतिलेखक की योग्यता आयोजित परीक्षा के स्तर से ऊपर के स्तर की नहीं होगी, जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या इसके ऊपर की होगी।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा श्रुतिलेखक के स्वयं चुनने की स्थिति में श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के स्तर से एक स्तर नीचे की होगी तथा इस परिस्थिति में चुने गए श्रुतिलेखक की विस्तृत सूचना (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आदि) विहित प्रपत्र में केन्द्राधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में अनियमितता की स्थिति में दिव्यांग अभ्यर्थी के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई परीक्षा नियंत्री संस्थान अथवा केन्द्राधीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(v) विभिन्न भाषाओं की परीक्षा के संदर्भ में दिव्यांग अभ्यर्थी को एक से अधिक भाषा के लिए एक से अधिक श्रुतिलेखक चुनने की सुविधा प्राप्त करायी जा सकती है।

(vi) बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी, जो श्रुतिलेखक के माध्यम से परीक्षा दे रहे हों अथवा श्रुतिलेखक के बिना परीक्षा दे रहे हों, दोनों ही स्थिति में इन्हें प्रति घंटा की दर से 20 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूरक समय दिया जा सकता है। यह अवधि अधिकतम 60 मिनट की होगी। यदि एक घंटे से कम अवधि की परीक्षा हो, तो अनुपातिक विधि से अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा यह अनुपातिक रूप से 5 मिनट के गुणक में हो सकता है।

(vii) श्रुतिलेखक को पारिश्रमिक के रूप में एक पाली की परीक्षा में 500/- (पाँच सौ) रुपये का भुगतान किया जा सकेगा, जबकि दो पालियों की परीक्षा में उसी श्रुतिलेखक को 800/- (आठ सौ) रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। दो पालियों में अलग-अलग श्रुतिलेखक के लिए पारिश्रमिक के रूप में 500/- (पाँच सौ) रुपये का भुगतान किया जा सकेगा। श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(viii) दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भू-तल पर परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की जायेगी। परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र देते समय अचूक रूप से समय को इंगित किया जा सकेगा, ताकि क्षतिपूर्क समय के लिए कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न न हो।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासमाजन,

28/06/2021
(रजनीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।